(379)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 10(7)नविवि/3/2009पार्ट–II

जयपुर, दिनांक 26 FEB 2013

आदेश

मंत्रीमण्डल एम्पावर्ड समिति की सप्तम् बैठक दिनांक 12.02.2013 में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में निम्न आदेश प्रसारित किये जाते है :–

1. चैरीटेबल संस्थाऐं जिन्हें रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान है एवं ऐसी संस्थाऐं जो दानदाताओं के दान से चलती है यथा धार्मिक भवन (मन्दिर, मजिस्द, गुरूद्वारा आदि), सामाजिक भवन (वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम आदि), निःशक्तजन हेतु चलाये जा रहे शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान तथा समाजों द्वारा संचालित छात्रावास के भवनों के लिए भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु भवन विनियमों में संस्थागत प्रयोजनार्थ निर्धारित जांच फीस तथा अनुमोदन शुल्क की 50 प्रतिशत राशि ली जावेगी। ऐसे भवनों के मानचित्र अनुमोदन के समय लिये जाने वाले बी.एस.यू.पी. शैल्टर फण्ड से पूर्ण छूट प्रदान की जाती है।
2. भवन विनियमों में संस्थागत उपयोग के लिए निर्धारित मानक एफ.ए.आर. 1.00 के स्थान पर 1.33 किया जाता है, जिन प्रकरणों में पूर्व के मानक एफ.ए.आर. के आधार पर बैटरमेन्ट लेवी जमा करायी गई है, वह लौटायी नहीं जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

26/2/2013

(एन. एल. मीना)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर।
9. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

(162)